

**न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र०)**



२. १२९७-५/३  
शिवकुमार त्रिपाठी तनय श्री बच्चा लाल त्रिपाठी उम्र 60 वर्ष

**पीठकेन्त्रिकाएँ:**

४५४७३

निगराकार

विरुद्ध

पालकलिसरपंच ग्राम पंचायत भठवा जनपद पंचायत मझगावां जिला सतना म0प्र०

सतना म0प्र०

2. जुगुल किशोर त्रिपाठी तनय रामलखन त्रिपाठी निवासी भठिया थाना बरौंधा तहसील मझगावां जिला सतना म0प्र०-रेस्पा.गण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.का.मा.

विरुद्ध अपर कलेक्टर सतना म0प्र०

के निगरानी प्रकरण क्र.- 393 / 10-11

आदेश दिनांक 10.09.2012

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश गवालियर

३५।

अनुबंध आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक R/1297/II/13, ब्यतना

किंवद्दुना [सरपंच थाना प्रयत्न]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
28/12/18	<p>आवेदक की ओर से श्री ..... पी. के. तिवारी          अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला ..... ब्यतना .....          के प्रकरण क्रमांक निः०/३१३/१०-१। में पारित आदेश दिनांक          १०/०९/१२ के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में          दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित          संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु          प्रकरण आयुक्त संभाग ..... रीवा ..... के न्यायालय को अंतरित किया          जाता है। उभय पक्ष दिनांक ०३/०४/१९ को संभागीय आयुक्त  <b>रीवा</b> ..... के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य ✓</p> 	